राजस्व वाद संख्या 66/2019

विजयसिंह आदि बनाम हनुमानसिंह आदि

वादः घोषणार्थ व विक्रय पत्र दिनांक 19.06.1980
वादीगण के अधिकारों के विरूद्ध 4/5 हिस्से तक
अकृत्य व शुन्य घोषित करवाने व रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 व अं.आ. 1 नियम 9 तथा धारा 151 सीपीसी

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी–श्री अमरसिंह शेखावत
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी –श्री विप्पलव पंडित

आदेश

दिनांक 30.10.2019

प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अं. आदेश 7 नियम 11 व अं.आ. 1 नियम 9 तथा धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम घोडीवारा कलां की सरहद में स्थित भूमि ख. न. 299/2 रकबा 4 बीघा 9 बिश्वा के संबंध में खातेदार बजरंगसिंह महावीरसिंह पुत्रान रावतसिंह जाति राजपूत निवासी गांगीयासर द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 19.06.80 को निरस्त करवाने की रिलीफ डिमाण्ड की है। वादीगण ने प्रार्थी को अपने अधिवक्ता से दिनांक 05.04.2019 का लीगल नोटिस प्रेषित करवाया है जिसमें उल्लेख किया है कि धोखे में रखकर अकेले के नाम से विक्रय पत्र करवा लिया तथा नोटिस में स्वयं ने सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र निरस्त करने का वाद लाने के लिये कथन किया है जो वादीगण के विरूद्ध विवंधकारी है। वादीगण ने वाद के माध्यम से विक्रय पत्र दिनांक 19.06.80 को राजस्व न्यायालय में चुनौती दी है जबकि विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है जिसे वादीगण ने लीगल नोटिस दिनांक 05.04.2019 में भी स्वयं ने माना है तथा नोटिस में भी विक्रय पत्र को निरस्त करने के लिये सिविल न्यायालय में वाद प्रेषित करने का उल्लेख किया है। इस प्रकार वादी का वाद सुनने का क्षैत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नही है। वादीगण जब तक सक्षम न्यायालय से विक्रय पत्र को निरस्त नही करवा लेते तब तक घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नही है। फलस्वरूप वाद वादीगण क्षैत्राधिकार के बाहर होने से विधि द्वारा वर्जित होने से अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानानुसार खारीज होने योग्य है।

वादीगण ने वाद पत्र के माध्यम से विक्रय पत्र दिनांक 19.06.80 को जो बजरंगसिंह महावीरसिंह पुत्र रावतसिंह द्वारा निष्पादित है को निरस्त करवाने की रिलीफ डिमाण्ड की है परन्तु वादीगण ने वाद पत्र मं बजरंगसिंह महावीरसिंह अथवा इनके वारिसान को पक्षकार संयोजित नही किया है जो आवश्यक पक्षकार है बिना इन्हे पक्षकार संयोजित किये न्यायालय द्वारा प्रभावी डिक्री जारी नही की जा सकती है इसिलये वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार का दोष है अर्थात वाद पत्र में नोन जोइन्डर आफ पार्टीज का नुक्स है। इसलिये कानूनन अंतर्गत आदेश 1 नियम 9 जा.दी. के प्रावधानानुसार वाद खारीज होने योग्य है।

वादीगण ने वाद पत्र के माध्यम से विक्रय पत्र दिनांक 19.06.80 को निरस्त करने की रिलिफ डिमाण्ड की है कानूनन विक्रय पत्र को निरस्त करने की मियाद विक्रय पत्र निष्पादन की तिथि से तीन साल तक है यदि पक्षकार नाबालिग रहे का कथन करे तो बालिग होने से तीन साल तक विक्रय पत्र को चुनौती देने की मियाद नियत है। वादीगण ने जानकारी होने के बावजूद 39 वर्ष वर्ष पश्चात विक्रय पत्र को चुनौती है इसलिये वाद स्पष्टतया मियाद बाहर है वादीगण ने विधि विरूद्ध वर्जित वाद पेश किया है ना ही माननीय न्यायालय में वाद लाने के लिये वादकारण है इसलिये वादीगण का वाद मियाद बहार होने से तथा वादकारण के अभाव में खारीज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर

Scanned by CamScanner

निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अं. आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आधार पर खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण वादीगण द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि माननीय न्यायालय में वाद के माध्यम से अपने अधिकारों की घोषणा हेतु भूमि ख.न. 299/2, 346/2 वादी के पिता किशनसिंह का 1/2 हिस्सा व बजरंग सिंह महावीर सिंह पुत्रान रावतसिंह का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड संवत 2009 में शामलाती रूप से कब्जा काश्त व खुद काश्त चला आ रहा था वास्तव में गलती से बजरंगसिंह महावीरसिंह पुत्रगण रावतसिंह का नाम गलत रूप से चला आ रहा था, कब्जा काश्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता स्व0 किशनसिंह पुत्र चांदसिंह के कब्जे काश्त में चली आ रही थी परन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम होने के कारण से दिनांक 30.07.79 को बजरंगसिंह महावीरसिंह पुत्र रावतसिंह द्वारा वादीगण के पिता स्व0 किशनसिंह के पक्ष में नुमाईशी तौर पर इकरारनामा बाबत विक्रय पत्र की लिखापढी की गई जिसके बदले में बजरंगसिंह महावीर सिंह पुत्र रावतसिंह निवासी गांगियासर को 5 हजार रूप्ये 1/2 हिस्से के अदा कर दिये तथा उन्होने अपनी लिखावट संवत 2007 से लगातार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पि0स्व0 किशनसिंह का चला आ रहा था, इसी की पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 के कॉलम में वादी के पिता का नाम चला आ रहा है इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2016 में दर्शित किया है, उक्त सम्पति पैत्रिक है।

उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता स्व0 किशनसिंह महावीरसिंह बजरंगसिंह निवासी गांगियासर से है एक ही गौत्र है, बजरंगसिंह महावीरसिंह कभी भी काश्त करने हेतु गांगियासर से घोडीवारा कला नही आये परन्तु एक ही परिवार का सदस्य होने के कारण रिकार्ड में नाम आ गया जिससे भविष्य में विवाद नही हो इसके बदले में इकरारनामा वादीगण के पिता किशनसिंह के पक्ष में दिनांक 30.07.79 को किया गया जिसके बदले में स्व0 किशनसिंह द्वारा 5000/–रूपये अदा किये उक्त लिखापढी में बजरंगसिंह व महावीरसिंह द्वारा पूर्व में कब्जा काश्त चला आ रहा है का कथन किया है यानि वादग्रस्त भूमि में संवत 2007 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है जो कॉलम 6 में दर्ज है। जहां तक नोटिस का प्रश्न है उस वक्त राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नही होने से नोटिस दिया गया उक्त नोटिस में संबंधित न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु दिया गया था। मात्र नोटिस के आधार पर खातेदारी व विधिक अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद घोषणार्थ स्थाई निषेधाज्ञा तथा वादीगण के अधिकारों के खिलाफ विक्रय पत्र अकृत व शून्य घोषित करवाने तथा अपना 4/5 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जिस पर वादीगण के पिता किशनसिंह का अनवरत कब्जा व काश्त चला आ रहा था। जिसके लगान के भुगतान भी कृषि भूमि से संबंधित अधिकारों की घोषणा राजस्व न्यायालय ही कर सकता है। रा0का0अ0 1955 के प्रभावी होने के पूर्व से ही वादीगण के पिता वादग्रस्त भूमि का कब्जा काश्त व लगान अदा करते आ रहे थे जिसको राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 का स्वतः लाभ दिया जाना चाहिये था परन्तु नही दिया।

यह कहना गलत है कि विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु चुनौती दी हो बल्कि अपने हिस्से 4/5 के खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है। लीगल नोटिस से कोई फर्क नही पडता है जहां उचित न्यायालय उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजों के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा 4/5 हिस्से की करवाने के अधिकारी है जो राजस्व न्यायालय को सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिय प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। वादीगण की इच्छा व वाद मालिक स्वामी वादी होता है जो अपनी मर्जी से किसके खिलाफ सहायता चाहता है उसको पक्षकार बनाया है वादी पक्षकार के लिये आवेदक/ प्रतिवादी बाध्य नही कर सकते इसलिये आवेदक/प्रतिवादी ने न तो वाद पत्र को स्वीकार किया न ही वाद पत्र को अस्वीकार किया है। प्रतिवादी अपने जबाब दावा के उज्र उठा सकते हैं जिसे लिये स्वतंत्र है जिसकी जबाब दावा के आधार पर तनकी बन जावेगी। चूंकि उक्त भूमि वादीगण के पिता की भूमि थी जिस पर वादीगण का अधिकार होने के कारण से विधि द्वारा वर्जित नही है इसलिये न तो मियाद बाहर है न ही विधि द्वारा वर्जित है अगर प्रतिवादी आवेदक अपने जबाब दावा में उठाने के लिये स्वतंत्र हैं जो मिश्रित तनकीयात है तथा तनकीयात न्यायालय द्वारा बनाई जावेगी, तनकीयात वाद साक्ष्य तय की जावेगी मात्र आवेदक व उसके वकील वादीगण के वाद को लम्बित करने के लिये गलत आधारों पर प्रस्तुत किया जो खारीज होने योग्य है।

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी वादी व न्यायालय के बीच का है प्रतिवादी/आवेदक को उज्र उठाने का अधिकार नही है। अपने तमाम उज्र जबाब दावा में उठाये जिस पर तनकीयात कानूनी व

Scanned by CamScanner

यानि कि दोनो पक्षों की साक्ष्य आने के बाद न्यायालय निर्णित करेगा इसलिये प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराया गया।

वकील आवेदक प्रतिवादी द्वारा कथन किया है कि वादीगण द्वारा वाद घोषणार्थ व विक्रय पत्र दिनांक 19.06.1980 को 4/5 हिस्से तक अकृत व शून्य घोषित करवाने का पेश किया गया है। कॉज आफ एक्शन के बिन्दू पर बजरंगसिंह महावीरसिंह पिता रावतसिंह के विरूद्ध था जिन्हे पक्षकार नही बनाया गया है अतः पक्षकार के अभाव में वाद अं.आदेश 1 नियम 9 सीपीसी द्वारा खारीज योग्य है। वाद पत्र में इकरारनामा के द्वारा वादग्रस्त भूमि के विक्रय का उज्र किया है जिसको सुनने के लिये सिविल न्यायालय को अधिकार है तथा विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार क्षैत्र सिविल न्यायालय का है। वाद पत्र के मद सं0 7 में वादकारण दिनांक 10.04.19 को बताया है जबकि वादी ने लिगल नोटिस दिनांक 05.04.19 को दिया है। लिगल नोटिस में स्वयं द्वारा माना है कि मामला सिविल न्यायालय अधिकार क्षैत्र का है। दावे में विक्रय पत्र निष्पादन के समय स्वंय वादी ने अपने को नाबालिग होना बताया है। नाबालिग होने के 3 वर्ष तक दावा पेश कर सकते थे जबकि यह दावा 39 वर्ष पश्चात पेश किया गया है। प्रतिवादी आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रा0 प0 पेश कर सकता है, पिता की खातेदारी बाबत कोई दस्तावेजात पेश नही किया है तथा इकरारनामा रजिस्टर्ड नही है जबकि 100 रूपये से अधिक का दस्तावेज रजिस्टर्ड होना चाहिये एवं वाद कारण का जबाब नही दिया जाने का कथन किया गया।

वकील अनावेदक वादीगण द्वारा कथन किया गया कि वादी के पूर्वज किशनसिंह ने 5000 रूपये देकर भूमि क्रय की है। घोषणा का वाद है। रा.का.अधि.की धारा 207 तृतीय अनुसूचि घोषणा के दावे में मियाद नही है। रा.का.अधि.की धारा 207, 256, 242 पर आदेश 7नियम 11 सीपीसी लागू नही होते हैं। पक्षकार नही बनाये जाने की आपति गलत है। वादी वाद का स्वामी होता है उसे पक्षकार बनाने के लिये बाध्य नही कर सकते। तनकी सिविल न्यायालय में निर्णय हेतु भेज सकते हैं। राजस्व न्यायालय को अधिकार है तनकी रेफर हो सकती है। विधि का मिश्रित प्रश्न होने से अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाववें तनकी के बाद ही निर्णय होगा बहस के दौरान वकील आवेदक प्रतिवादीगण द्वारा नजीर के रूप में आरआरडी 1978 पेज नं. 661 तथा आरआरडी 1993 पेज नं. 505, 2013 (4)डीएनजे (राज.) पेज 1681 न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया तथा वकील अनावेदक वादीगण द्वारा नजीर के रूप में 2019सीजे सिवलि एस.सी पेज 81, 2018आरबीजे पेज 693, 2015 आरआरटी 1 पेज नं. 474, 2015आरआरटी 1 पेज नं. 100, 1996 आरबीजे पेज नं. 244, 2014 आरआरटी 2 पेज नं. 1076, 2006आरआरटी 1 पेज नं. 181, 2003 आरबीजे पेज 158, 1980 आरएलडब्लू पेज 599, 1968 आरएलडब्लू पेज 316 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये। बहस तथ्यों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत नजीर व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दाशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगाः–

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,
2. जहां दावाकृति अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

वाद पत्र में पैरा 2 में इकरारनामा दिनांक 30.07.1979 को आधार मानते हुए घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का उल्लेख है। इसी प्रकार वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में महावीर सिंह व बजरंग सिंह के द्वारा दिनांक 19.6.1980 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने एवं वाद घोषणार्थ,

Scanned by CamScanner

अकृत व शून्य किये जाने विक्रय पत्र दिनांक 19.6.1980 को घोषित करवाने का अंकन है। महावीर सिंह व बजरंगसिंह के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र को अकृत व शून्य किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत होने पर भी इन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत 2014 (2) आरआरटी 1076 में आबादी भूमि या कृषि भूमि संबंधी वाद था। अन्य सभी न्यायिक दृष्टान्तों में पैत्रिक सम्पति के आधार पर घोषणा व पैत्रिक संपति में हिस्से की सीमा तक पंजीकृत दस्तावेज निरस्त कराने से संबंधित है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत 2013 (4)डीएनजे(राज.) 1681 के अनुसार आवश्यक पक्षकार को वाद में पक्षकार नही बनाने से वाद खारिज किया गया। प्रकरण में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय का है। प्रकरण पैत्रिक संपति होने के आधार पर घोषणा का नही है बल्कि इकरारनामा के आधार पर पंजीकृत विक्रय पत्र निरस्त करने से संबंधित है, साथ ही विक्रेतागण को पक्षकार नही बनया गया है। जबकि वे आवश्यक पक्षकार है।

अतः आवश्यक पक्षकार को वाद में पक्षकार नहीं बनाने एवं इकरारनामा के आधार पर विक्रय पत्र निरस्त करने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व आदेश 1 नियम 9 तथा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner